न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
सरफेसी वाद संख्या–66/2016
प्राधिकृत पदाधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
–बनाम–
मेसर्स शिवम इंटर प्राईजेज, प्रो0 विभा देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
28/09/2018	**आदेश** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सरफेसी अधिनियम–2002 की धारा–14 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा के द्वारा ऋण की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति सम्पत्ति के भौतिक दखल–कब्जा दिलाने हेतु दायर किया गया है। वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत की गयी। तदालोक में विपक्षी वाद में उपस्थित हुए लेकिन चेतावनी के बावजूद उनके द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया। अतः स्वतः वंचित हैं। लोकहित में वाद की सुनवाई की गयी है। स्थापित विधि एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी में सन्निहित क्षेत्राधिकार के अनुरूप सरफेसी अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत दायर आवेदन पर आवेदक को भौतिक दखल कब्जा दिलाना है, यदि वह उल्लिखित संपत्ति क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, सरफेसी अधिनियम की धारा–13(2) के आलोक में संबंधित ऋणि/ प्रत्याभूति को संबंधित बैंक द्वारा सूचना निर्गत करते हुए समुचित अवसर दिया जा चुका हो तथा वाद में सन्निहित प्रत्याभूति सम्पत्ति का अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत सांकेतिक दखल कब्जा पूर्व में संबंधित बैंक के द्वारा लिया जा चुका हो। प्रश्नगत् वाद में ऋणि प्रत्याभूति की उपस्थिति एवं वाद के गुण–दोष की विवेचना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से परे है। अंकनीय है कि AIR 2007 (NOC) 1634 (BOM.) में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टतः आदेशित है कि *"CMM/DM acting u/S. 14 of the Act is not required to give notice either to the borrower or to the 3rd party. He has to only verify from the bank or financial institution whether notice u/S. 13(2) of the Act is given or not and whether the secured assets fall within his jurisdiction. There is no adjudication of any kind at that stage it is only if the above conditions are not fulfilled that the CMM/DM can refused to pass an order u/S. 14 of the Act by recording that the above conditions are not fulfilled. If these two conditions are fulfilled, he cannot refuse to pass an order u/S. 14".* वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का	

संक्षेप में कथन है कि संबंधित बैंक के नीति निर्धारण के अनुरूप विपक्षी को वर्ष 2011 में शिवम इंटर प्राईजेज, प्रो० विभा देवी के नाम ऋण दिया गया। ऋण की अदायगी हेतु विपक्षी विभा देवी द्वारा प्रत्याभूति दाता के रूप में उनके नाम से संधारित सम्पत्ति को सुरक्षित जमा राशि के रूप में दिया गया। संबधित प्रत्याभूति सम्पत्ति एवं मांग की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रतिभूति सम्पत्ति का विवरण

क्र0	ऋणी / प्रत्याभूति दाता का नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	माँग की राशि
1	प्रो0 विभा देवी, पति मनोरंजन झा, मु0 शुभंकरपुर, बदरी नारायण मंदिर के पास, पो0–शुभंकरपुर जिला–दरभंगा	निबंधित केवाला सं0–7458 दिनांक 11.05.2000, में निहित सम्पत्ति तौजी नं0–1829 खेसरा नं0–14100, 14101 (पु0) 147 (नया) होल्डिंग नं0–1429, रकबा–11 धुर 30 धुरकी चौहद्दी–उ0 कच्चा रोड, द0 नीज, पू0 चेतनाथ झा, प0 सड़क	रूपया–26,20,707.00

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सामान्य अनुक्रम में विपक्षी विभा देवी के द्वारा ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण प्रथमतः इनके एकाउन्ट को दिनांक 30.09.2014 से एन0पी0ए0 किया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुरूप विपक्षी को दिनांक 14.12.2014 को नोटिस किया गया, जिसका जवाब विपक्षी के द्वारा नहीं दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा–13(4) के अनुरूप संबंधित भूमि का सांकेतिक दखल कब्जा दिनांक 16.03.2015 को किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि सरफेसी अधिनियम–2002 के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। अतः भौतिक दखल–कब्जा दिलाने की कृपा की जाय।

अभिलेख पर संधारित तथ्यों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राधिकृत पदाधिकारी आवेदक द्वारा विपक्षी के बैंक एकाउन्ट को विधिवत् एन0पी0ए0 घोषित करने के पश्चात विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी है। सूचनोपरान्त संबंधित भूमि का सांकेतिक दखल–कब्जा घोषित किया गया है।

अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि सरफेसी अधिनियम–2002 की धारा–14 के अधीन वाद आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को प्राधिकृत किया जाता है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के माध्यम से भौतिक दखल–कब्जा दिलाने हेतु एक तिथि निर्धारित करते हुए इसकी सूचना प्राधिकृत पदाधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा सहित सभी संबंधित पक्षों को देंगे तथा आवश्यकतानुसार पुलिस बल की मांग वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के मांग पर नियमानुसार पुलिस बल आदि की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी, युनाईटेड बैंक

ऑफ इंडिया, दरभंगा को भी निदेश दिया जाता है कि भौतिक दखल–कब्जा प्राप्त करने में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/अनुमंडल पदधिकारी, सदर दरभंगा/अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा/प्राधिकृत पदाधिकारी, युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।